

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल-23/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० रौनक खातुन, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरपुर, दरभंगा के द्वारा दिनांक-16.01.2026 से 31.07.2026 तक कुल-197 (एक सौ सत्तानबे) दिनों उपभोगित/उपभोग की जानेवाली अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-909(25), दिनांक-28.04.2026 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० रौनक खातुन के पक्ष में 533 (पाँच सौ तैतीस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-23/2026- 1335(2) पटना, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरपुर, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/डा० रौनक खातुन, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरपुर, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Wfmmk 15/6/26
सरकार के उप सचिव